न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 288/पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.12.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 169/अपील/2015-16.

---

1. कमल पिता सतीशचन्द्र कानूनगो
2. तरूण पिता सतीशचन्द्र कानूनगो
   निवासीगण- 45, मधुबन कॉलोनी,
   केसरबाग रोड, इंदौर
3. अनिल पिता सूर्यप्रकाश कानूनगो
   निवासी- 96-बी, वैभव नगर, इंदौर
4. अरूण पिता सूर्यप्रकाश कानूनगो
   निवासी 78-बी, वैभव नगर, इंदौर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

लक्ष्मीनारायण पिता बाबुलाल गारी
निवासी ग्राम बुरानाखेडी
तहसील व जिला इंदौर

.....अनावेदक

श्री के.के. कंवर एवं श्री रमेश सोनवडे, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/2/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 28.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 109-110 सहपठित धारा 168-169 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय

का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बुरानाखेड़ी स्थित सर्वे क्रमांक 212 क्षेत्रफल 5.68 एकड़ भूमि के राजस्व अभिलेख से आवेदकगण का नाम कम किया जाकर अनावेदक का नाम विधिवत् अंकित किया जाये। इस आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 13/अ-6/13-14 दर्ज कर दिनांक 14.03.2014 को आदेश पारित किया जाकर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी, खुडेल, जिला इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2015 से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.12.2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2015 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.2014 निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र संहिता की धारा 109-110 सहपठित धारा 168-169 के अंतर्गत प्रस्तुत करते हुए प्रश्नाधीन भूमि के संदर्भ में अभिवचन करते हुए अनावेदक को भूमि विकास के लिए बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु उसके नाम का कब्जेधारी के रूप में इन्द्राज किये जाने हेतु निवेदन किया। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि स्वयं अनावेदक द्वारा सम्पूर्ण मूल प्रार्थना पत्र में यह तथ्य स्वीकार किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर शुरू से ही निगरानीकर्ता के पूर्वज तथा नामांतरण पश्चात् वर्तमान निगरानीकर्ता के नाम भूमि स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहे हैं। यह भी निर्विवाद है कि वादग्रस्त कृषि भूमि निगरानीकर्ता की पुश्तैनी सम्पत्ति रही है तथा आज भी है। वर्तमान में भी निगरानीकर्ता के ही नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी के रूप में वादग्रस्त भूमि पर दर्ज है।

(2) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करते हुए निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र समयावधि बाधित प्रचलन योग्य आदि न होने के संदर्भ में भी अभिवचन विस्तृत जवाब में प्रस्तुत किये, जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा उक्त जवाब में ही प्राथमिक आपत्तियां दर्ज की गई, जिसके आधार पर उभयपक्ष को तर्क का अवसर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिया गया तथा बिना किसी विस्तृत जांच के तथा उभयपक्ष की साक्ष्य अंकित किये बिना उक्त प्राथमिक आपत्ति पर तहसीलदार द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये।

(3) उपरोक्त आदेश को अनावेदक द्वारा उपखण्डीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रार्थना पत्र में किये गये अभिवचनों के अलावा अन्य किसी भी विषय में किसी प्रकार के कोई तर्कों का श्रवण अथवा कथित तर्कों के आधार पर रिकॉर्ड से हटकर तथा मांग किये जाने के विपरीत किसी भी प्रकार की कोई सहायता अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण के किसी भी पक्षकार के पक्ष में नहीं दी जा सकती है। उपखण्डीय अधिकारी द्वारा इस संदर्भ में निगरानीकर्ता के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निरस्त की।

(4) अनावेदक की ओर से उक्त आवेदन पत्र में संहिता की धारा 109-110 सहपठित धारा 168, 169 शीर्षक डालकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कि अभिवचन किये गये हैं कि अनावेदक का नाम कथित तौर पर खसरा वर्ष 1963-64 से 1981-82 तक कैफियत के कॉलम में अंकित रहा है, किंतु तत्पश्चात् आवेदकगण का नाम ही भूमि स्वामी तथा कब्जेदार आदि के रूप में अंकित होकर उसके नामों को विलोपित कर दिया गया है। संहिता की धारा 109-110 केवल भूमिस्वामी स्वत्वों के विषय में नामांतरण आदि से संबंधित है, जिस प्रकार की सहायता अनावेदक की ओर से सदर प्रकरण में चाही है, उससे साफ जाहिर है कि भूमि स्वामित्व के नामांतरण आदि के बाबद अनावेदक द्वारा सहायता नहीं चाही गई है, इसलिए सदर धाराओं में प्रार्थना पत्र ही प्रचलन योग्य नहीं है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि केवल किसी प्रार्थना पत्र में किसी विशिष्ट अधिनियम की धारा मात्र का उल्लेख कर देने से उक्त धारा के प्रावधान सीधे तौर पर आकर्षित नहीं होते हैं, जब तक कि इस संदर्भ में अभिवचनों में उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया हो तथा विपक्षी पक्षकार को उक्त अभिवचनों के आधार पर उत्तर देने का अधिकार प्राप्त नहीं हो। इसके विपरीत यदि अभिवचन किसी पक्षकार द्वारा किये गये हों, किंतु गलत धाराओं का यदि उललेख अपने प्रार्थना पत्रों में किया गया हो तो उस आधार पर किसी भी राजस्व प्राधिकारी को विधि अनुसार निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है, जबकि सदर प्रकरण में किसी प्रकार के अभिवचनों के आधार पर केवल धाराओं का उल्लेख करने मात्र से उक्त धाराओं के अंतर्गत् उल्लेखित सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है।

(5) संहिता की धारा 116 में खसरे अथवा अन्य राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज के विषय में किसी प्रकार का विवाद होने पर कथित विवादित इन्द्राज के एक वर्ष की मर्यादा के भीतर आहत व्यक्ति तहसीलदार के समक्ष दुरूस्ती हेतु आवेदन कर सकता है। जैसा कि सदर प्रकरण में स्वयं अनावेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्शाया गया है कि उसके नाम से कैफियत के कॉलम में राजस्व अभिलेखों में विवादित सर्वे क्रमांक 212 के कैफियत के कॉलम में वर्ष 1963-64

से 1981-82 तक ही नामों का इन्द्राज रहा है, जबकि सदर प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2013 को एक वर्ष की समयावधि से अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किया गया है। सम्पूर्ण भू-राजस्व संहिता में विलंब को माफी के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है तथा इस संदर्भ में तहसीलदार को दुरूस्ती हेतु कोई क्षेत्राधिकार ही प्राप्त न होने से सदर प्रार्थना पत्र विशेष तौर पर संहिता की धारा 117 में राजस्व अभिलेखों में किये गये इन्द्राज को सत्य मानने की अवधारणा होने से इस आधार पर उसमें दुरूस्ती नहीं की जा सकती है। इसलिए तहसीलदार एवं एस.डी.ओ. द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं रही है।

(6) उपरोक्त समवर्ती आदेशों के बावजूद अनावेदक द्वारा अधीनस्थ अतिरिक्त राजस्व आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपील बिना अभिवचनों का मनन किये तथा बिना इस बात की जांच किये कि अनावेदक द्वारा मूल प्रार्थना पत्र में 99 वर्ष के पट्टे का उल्लेख किया गया है। उक्त पट्टा का अस्तित्व विश्वसनीयता तथा साक्ष्य के जरिये पक्षकारों पर बंधनकारक होने के विषय में किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के बावजूद संहिता की धारा 168, 169, 189 एवं 190 आदि का उल्लेख करते हुए तथा अनावेदक द्वारा केवल कब्जे के विषय में इन्द्राज की दुरूस्ती की प्रार्थना होने के बावजूद उस प्रार्थना से ऊपर अनावेदक को भूमि स्वामी ही घोषित कर दिया, जबकि इस प्रकार का आदेश पारित किये जाने का क्षेत्राधिकार इसलिए भी अतिरिक्त राजस्व आयुक्त को नहीं रहा है कि उनके समक्ष लंबित द्वितीय अपील में विधि का कोई प्रश्न ही अनावेदक की ओर से उपस्थित नहीं किया था।

(7) इसी प्रकार अनावेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में संहिता की धारा 168-169 बाबद शीर्षक में लिखा गया है, इस संदर्भ में स्वयं अनावेदक की ओर से अभिवचन किये गये हैं कि उसे पंजीकृत लीज के आधार पर कतिपय अधिकार प्राप्त है तथा लीज का दिनांक 25.05.1959 दर्शाया गया है, जबकि म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 दिनांक 02.10.1959 से अधिसूचना दिनांक 21.09.1959 जिसका कि म.प्र. राजपत्र में दिनांक 21.05.1959 को प्रकाशन हुआ है, से लागू है। इस प्रकार म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान ही सदर प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। इसलिए संहिता की धारा 168-169 के प्रावधान आकर्षित ही नहीं होते हैं। इसी तरह उक्त भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत अधिभोगी काश्तकार के स्वत्व किसी भी तरीके से अनावेदक को प्राप्त नहीं होते हैं।

संहिता की धारा 190 (2-क)(ख) के अंतर्गत भूमिस्वामी हो जाता है तथा वह तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नामांतरण की मांग कर सकता है। विपक्षी द्वारा विचारणीय न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में अपीलीय न्यायालय द्वारा उसे विधिसम्मत बताते हुए विपक्षी की अपील को स्वीकार करने में किसी प्रकार से कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है। इस संबंध में 2000 आर.एन. 205 (राजस्व मण्डल) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(3) विपक्षी को आवेदकगणों के पूर्वजों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा 99 वर्ष हेतु दिया गया था, जो कि रजिस्टर्ड होकर संहिता के प्रभावशील होने पर संहिता के अंतर्गत ही प्रदान किया जाना माना जावेगा। विपक्षी को संहिता के अंतर्गत मौरूसी कृषक के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। संहिता की धारा 169 के अधीन किसी पट्टेधार को मौरूसी कृषक के अधिकार विधि के प्रभाव से स्वमेव प्रोद्यभूत हो जाते हैं। विधि के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया। इसी प्रकार से कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 280 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(4) संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि धारा168 के उल्लंघन में यदि कोई पट्टा दिया जाता है, तब पट्टेदार भूमिस्वामी बन जाता है और उसे पट्टादाता बेदखल नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पट्टे अथवा किसी करार के अधीन तीन वर्ष तक लगातार कब्जा रखे हुए है, यदि भूमिस्वामी ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से खेती करने के लिए भूमि का पुर्नग्रहण नहीं किया, तब ऐसे व्यक्ति को मौरूसी कृषक के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता है। आवेदकगण एवं उसके पूर्वजों द्वारा विपक्षी से कभी कोई भूमि प्राप्त नहीं की है। वर्तमान में भी उक्त भूमि पर विपक्षी काबिज होकर कृषि कर रहा है और उसका उपयोग उपभोग कर रहा है। हर साल मुजब इस साल भी उसके द्वारा फसल बोई गई है। इन तथ्यों पर तथा विधि के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत आदेश पारित किया गया, जिसे किसी प्रकार से फेरफार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में 1981 आर.एन. 184 (उच्च न्यायालय), 1989 आर.एन. 154 (उच्च न्यायालय) एवं 2002 आर.एन. 405 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(5) प्रश्नाधीन भूमि पर विपक्षी लक्ष्मीनारायण का कब्जा पंजीकृत पट्टा लेख दिनांक 25.05.1959 से शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा चला आ रहा है तथा विपक्षी के कब्जे के पुर्नग्रहण की कोई कार्यवाही आवेदनकगण कमल वगैरह द्वारा व उनके पूर्वजों द्वारा नहीं की गई।

(8) इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बेगम सुरैया रशीद विरूद्ध म.प्र. राज्य 2006 राजस्व निर्णय पेज क्र. 135 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संहिता की धारा 109 के विषय में केवल 6 माह की समयावधि के अंदर ही प्रविष्टि के अधिकार दिये जाना ठहराया गया है। अधिकार का सृजन वर्ष 1954 में होने के पश्चात् वर्ष 1989 में कार्यवाही को विधि की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरूपयोग माननीय उच्चतम न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ने ठहराया है। इसी प्रकार संहिता की धारा 57(2), 57(3), 116 तथा 117 के विषय में शुद्धिकरण हेतु धारा 116 के उपबंध का उपयोग भी एक वर्ष की अधिकतम समयावधि के अंदर ही ठहराया गया है अन्यथा खसरों में किये गये इन्द्राज ही अवधारणा फलस्वरूप सत्य ठहराये जावेंगे। इस संदर्भ में अन्य न्यायदृष्टांत 2007 राजस्व निर्णय पेज क्रमांक 199 भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संहिता की धारा 115, 116 तथा 32 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए तहसीलदार को कब्जे का इन्द्राज का कोई अधिकार नहीं होना ठहराया गया है। इस संदर्भ में संहिता की धारा 121 नियम 6 से 11 का उल्लेख भी करते हुए इस बात की पुष्टि की गई है कि तहसीलदार को कब्जे के इन्द्राज के संबंध में कोई अधिकार कदापि नहीं है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुए अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) संहिता की धारा 190 (2-क) (ख) तथा संहिता की धारा 185 (1)(2) संहिता के प्रवर्तन से पूर्व भूमि में कृषक का कब्जा वह ऐसी भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार अर्जित करता है, प्रश्नाधीन भूमि पर विपक्षी द्वारा भूमिस्वामी के अधिकार को अर्जित किया है, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में किसी प्रकार से कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है। इस संबंध में 2007 आर.एन. 279 (राजस्व मण्डल) एवं 1992 आर.एन. 345 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(2) संहिता की धारा 168 के अंतर्गत भूमि लीज अथवा अधबटाई पर दिया जाने का प्रावधान है, जिस व्यक्ति को भूमि एक वर्ष से अधिक समय के लिए दी जाती है तो उसे संहिता की धारा 169 के अंतर्गत मौरूसी कृषक के स्वत्व प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति मौरूसी कृषक

प्रश्नाधीन भूमि पर विपक्षी को भूमिस्वामी के अधिकार धारा 169(2), 190 तथा 189 के तहत प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय के आदेश में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं की गई और विधिसम्मत आदेश पारित करते हुए विचारणीय न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है। इस संबंध में 1989 आर.एन. 346 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(6) संहिता लागू होने के दिन विपक्षी का प्रश्नाधीन भूमि को वैध धारण करता था, जिसके की हित अधिकारों की रक्षा दिनांक 0210.1959 को लागू मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता में भी कानूनन थी और इस तरह विपक्षी धारणकर्ता की श्रेणी में आने वाला वैध कब्जाधारी चला आया और उसे विधि की मंशा व प्रावधानों के तहत अपने इस वैध आधिपत्य को बनाये रखने का अधिकार आता है तो ऐसी दशा में पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25.05.1959 को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अस्तित्व में आने के पूर्व का होने से संहिता के प्रावधान लागू नहीं होना मानते हुए जो अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय व विचारणीय न्यायालय ने आदेश पारित किया था, उसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है।

(7) विपक्षी द्वारा संहिता के प्रभावशील होने के दिनांक 02.10.1959 के पूर्व से प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज होकर कृषक के रूप में धारित की थी, जिससे वह मौरूसी कृषक संहिता के प्रदत्त होने पर था। धारा 185 अनुसार विपक्षी मौरूसी कृषक 02.10.1959 को बना एवं धारा 190 अनुसार भूमिस्वामी दिनांक 01.07.1960 को हुआ। संहिता की धारा 168 में भूमि लीज पर अथवा अधबटाई पर दिये जाने का प्रावधान है, तो जिस व्यक्ति के भूमि 1 वर्ष से अधिक समय के लिए दी जाती है, तो उसे धारा 169 के अंतर्गत मौरूसी कृषक के स्वत्व प्राप्त हो जाते हैं तथा ऐसा व्यक्ति मौरूसी कृषक धारा 190 (2-क)(ख) के अंतर्गत भूमिस्वामी हो जाता है। वह तहसीलदार के समक्ष नामांतरण आवेदन कर सकता है, लेकिन इन तथ्यों पर गौर किये बिना ही विचारणीय न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था, जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में किसी प्रकार से कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है। इस संबंध में 2002 आर.एन. 405 (माननीय उच्च न्यायालय) एवं राजस्व निर्णय 205 राजस्व मण्डल श्री एच.जी. ओभराय अध्यक्ष गोविंदसिंह विरूद्ध भागीरथ तथा अन्य के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का पुराना कब्जा मानते हुए अपना आदेश पारित किया है, जबकि विचारण न्यायालय में कब्जे पर किसी भी पक्ष ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया था तथा तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति पर सुनकर ही प्रकरण समाप्त कर दिया था। अतः प्रकरण में ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे कि अपर आयुक्त के आदेश की पुष्टि हो। तथा न ही विचारण न्यायालय में उभय पक्ष को यह अवसर मिला। इस प्रकार तहसीलदार एवं अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में भूल की गई है। चूंकि अनुविभागीय अधिकारी ने भी तहसीलदार के त्रुटिपूर्ण आदेश की पुष्टि की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समस्त आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रकरण तहसीलदार की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को अपनी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश करने का अवसर देते हुए पुनः आदेश पारित करे।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में पुनः आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार, तहसील इंदौर की ओर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

रीडर

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर